न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 85 दायर दिनांक : 22.07.2020

महावीर प्रसाद पुत्र चिमनाराम जाति जाट साकिन हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र चिमनाराम जाति जाट साकिन हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. सरपंच, ग्राम पंचायत देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जरिये पैरोकार राज

–रेस्पोण्डेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :
1. श्री लेखराज देरासरी, अभिभाषक अपीलांट
2. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 04.01.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने सरपंच, ग्राम पंचायत देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 20.09.2008 के विरुद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि रोही करडू तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 176 में खसरा नं. 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 375, 376, 381, 382, 383, 426, 427, 428, 922 व 740 में 90.341 है0 बारानी प्रथम एवं बारानी दोयम खातेदारी भूमि में से 420 हिस्सा यानि 5.313 है0 भूमि अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 ने संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.06.2008 को क्रय की थी जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा यानि कुल 420 हिस्सा में से 210 हिस्सा बनता है व इसी अनुसार नामान्तरण दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन सरपंच, ग्राम पंचायत देईदासपुरा व पटवारी हल्का ने इस तथ्य की ओर ध्यान न देकर उक्त रकबा

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

का नामान्तरण केवल रेस्पो. सं. 1 के नाम से दर्ज कर दिया। अपीलांट सीधा–सादा काश्तकार है व अपीलांट का भाई ओमप्रकाश ही तहसील हाजा के काम संभालता है। अपीलांट जब पटवारी हल्का से अपने रकबा की जमाबन्दी लेने गया तो अपीलांट को जैरअपील आदेश का ज्ञान हुआ, इसलिए अपीलांट ने अपील के साथ इन्तकाल सं. 804, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 13.06.2008 व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर जैरअपील आदेश दिनांक 20.09.2008 को निरस्त करते हुए रोही करडू के खाता सं. 176 कुल 90.341 है0 भूमि में से अपीलांट व रेस्पो. द्वारा संयुक्त रूप से क्रय किया गया रकबा 420 हिस्सा यानि 5.313 है0 भूमि का नामान्तरण अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया। इन्तकाल सं. 804, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 13.06.2008 व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 दिनांक 06.09.2021 को स्वयं उपस्थित हुआ और अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया, जिसकी तस्दीक अभिभाषक अपीलांट ने की। ग्राम विकास अधिकारी, देईदासपुरा से स्वीकृत इन्तकाल सं. 804 दिनांक 20.09.2008 से सम्बन्धित पंचायत का रिकॉर्ड बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि तलब की गई। ग्राम विकास अधिकारी, देईदासपुरा ने अपने पत्र क्रमांक SP/2023-24/09 दिनांक 05.09.2023 के द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम पंचायत देईदासपुरा के वर्ष 2008 के कार्यवाही रजिस्टर में 20.09.2008 को किसी प्रकार का विवरण उपलब्ध नहीं है और न ही इस दिन किसी प्रकार की बैठक हुई। इन्तकाल रजिस्टर में भी उक्त इन्तकाल दर्ज नहीं है। दिनांक 20.09.2008 का विवरण उपलब्ध नहीं है।

ग्राम विकास अधिकारी, देईदासपुरा का जवाब प्राप्त होने के पश्चात् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं मूल अपील पर बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराया व अपील के

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

संलग्न इन्तकाल, पंजीबद्ध बैयनामा व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि वाके रोही करडू तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 375, 376, 381, 382, 383, 426, 427, 428, 922 व 740 में 90.341 है0 बारानी प्रथम एवं बारानी दोयम खातेदारी भूमि में से 420 हिस्सा यानि 5.313 है0 भूमि अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 के द्वारा संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.06.2008 के द्वारा क्रय की गई थी, जिसमें अपीलांट का 210 हिस्सा बनता है, लेकिन नामान्तरण व जमाबन्दी में उक्त 420 हिस्सा रकबा अपीलांट व रेस्पो. 1 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज ना कर, केवल रेस्पो. सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। सरपंच, ग्राम पंचायत देईदासपुरा व पटवारी हल्का ने इस तथ्य की तरफ कतई ध्यान नहीं देकर भारी कानूनी भूल की है, जिसका दण्ड एक भोले–भाले काश्तकार अपीलांट को नहीं दिया जा सकता है। उक्त रकबा पर खरीद की दिनांक से अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 का कब्जा काश्त है। अपीलांट सीधा–सादा काश्तकार है व अपीलांट का भाई ओमप्रकाश ही तहसील हाजा के काम संभालता है। अपीलांट जब पटवारी हल्का से अपने रकबा की जमाबन्दी लेने गया तो अपीलांट को जैरअपील आदेश का ज्ञान हुआ, इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शामिल करते हुए अपील का गुण–दोष के आधार पर निर्णय करने की प्रार्थना की। मुख्य अपील पर अपील में अंकित तथ्यों के दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट का प्रश्नगत रोही करडू की 90.341 है0 खातेदारी भूमि में से 420 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा पर खरीद की दिनांक से कब्जा काश्त है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण अपीलांट अपने हकों से वंचित है, इसलिए जैरअपील नामान्तरण सं. 804 को निरस्त करते हुए रोही करडू के खाता सं. 176 (वर्तमान 137) की कुल 90.341 है0 भूमि में से अपीलांट व रेस्पो. द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 13.06.2008 को संयुक्त रूप से क्रय की गई 420 हिस्सा भूमि का नामान्तरण अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की। पैरोकार राज ने राज्य हित को ध्यान में रखते हुए अपील का निर्णय करने की प्रार्थना की।

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

बहस सुनने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथम बिन्दु धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय अपील के निर्णय से पूर्व किया जाना आवश्यक है। यह कथन अपीलांट का पूर्ण रूप से दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अपीलाधीन रोही करडू की 90.341 है0 बारानी प्रथम एवं बारानी दोयम खातेदारी भूमि में से 420 हिस्सा भूमि अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 के द्वारा संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.06.2008 को क्रय की गई थी, लेकिन उक्त 420 हिस्सा भूमि नामान्तरण सं. 804 व जमाबन्दी में रेस्पो. सं. 1 के नाम से ही दर्ज की गई है। इस आधार पर अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है, इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचारण किया जाना उचित समझते हैं।

अपीलांट ने दस्तावेजी साक्ष्य इन्तकाल सं. 804, पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 13.06.2008 व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां अपील के साथ प्रस्तुत कर, प्रश्नगत भूमि, जो रेस्पो. सं. 1 के नाम से दर्ज की गई है, के नामान्तरण दिनांक 20.09.2008 को निरस्त कर, मुताबिक पंजीबद्ध बैयनामा अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 के नाम बहिस्सा बराबर नामान्तरण दर्ज करवाना चाहा है। रेस्पो. सं. 1 स्वयं उपस्थित होकर अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया है, जिसकी तस्दीक अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई है। रेस्पो सं. 2 ग्राम पंचायत, देईदासपुरा से इन्तकाल सं. 804 दिनांक 20.09.2008 से सम्बन्धित पंचायत का रिकॉर्ड बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि तलब किये जाने पर ग्राम विकास अधिकारी, देईदासपुरा द्वारा अपने पत्र क्रमांक SP/2023-24/09 दिनांक 05.09.2023 के द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि 20.09.2008 को ना तो किसी प्रकार की बैठक हुई व ना ही इस दिन का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है। अपीलांट ने दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील में अंकित तथ्यों को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 13.06.2008 से पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि रोही करडू तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 176 में खसरा नं. 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 375, 376, 381, 382, 383, 426, 427, 428, 922 व 740 में 90.341 है0 बारानी प्रथम एवं बारानी दोयम खातेदारी भूमि में से 420 हिस्सा भूमि अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 के द्वारा संयुक्त

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

रूप से बहिस्सा बराबर जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.06.2008 को अंकित काश्तकार सजना देवी पत्नी रणवीर जाति जाट निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़ से क्रय की गई है, इसी अनुसार नामान्तरण भी दर्ज होना चाहिए, लेकिन उक्त 420 हिस्सा भूमि नामान्तरण सं. 804 व जमाबन्दी में रेस्पो. सं. 1 के नाम ही अंकित की गई है, जो कि प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अपीलांट ने अपने हिस्सा की भूमि पर स्वयं का कब्जा बताया है, जिसकी बाबत रेस्पो. द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई। अपील अपीलांट पूर्ण रूप से सिद्ध है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपने हिस्सा की भूमि जरिये पंजीबद्ध बैयनामा क्रय की गई है, लेकिन जमाबन्दी में अंकन नहीं होने से अपने हकों से वंचित है, इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रोही करडू तहसील सूरतगढ़ का नामान्तरण सं. 804 निरस्त किया जाता है व इस नामान्तरण के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में किये गये अंकन निरस्त किये जाकर, तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को अपीलाधीन भूमि रोही करडू तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 176 में खसरा नं. 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 375, 376, 381, 382, 383, 426, 427, 428, 922 व 740 में 90.341 है0 बारानी प्रथम एवं बारानी दोयम खातेदारी भूमि में से 420 हिस्सा भूमि, जो जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 रोही करडू तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाता सं. 137/160 के खसरा नं. 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 375, 376, 381, 382, 383, 426, 428, 740/366, 922/484, 952/427 की कुल 90.341 है0 (35.205 है0 बारानी प्रथम व 55.136 है0 बारानी दोयम) खातेदारी भूमि में से 420 हिस्सा भूमि, ओमप्रकाश वल्द चिमनाराम जाति जाट सा. हिन्दौर के नाम दर्ज है, को कलमजन कर उक्त 420 हिस्सा भूमि ओमप्रकाश, महावीरप्रसाद पुत्रगण चिमनाराम अकवाम जाट सा. हिन्दौर के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली निर्णय शुमार होकर तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को निर्णय की प्रति आदेश की पालना हेतु प्रेषित की जावे। अपील पत्रावली निर्णय की मूल प्रति सहित दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राज.)